न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्षः भूपेन्द्र सिंह)

–0– निर्णय –0–

{आज दिनांक 27–03–2023 को घोषित किया गया}

RCT NO.	**706/2017**
Date of Filling	**05-07-2017**
Filling No.	**2394/2017**
CNR No.	**MP50010028892017**
Charges U/S	**25 आर्म्स एक्ट अधिनियम**
F.I.R. No.	**259/2017**

परिवादी	म0प्र0 राज्य द्वारा थाना कोतवाली बालाघाट
प्रतिनिधित्व द्वारा	ए.डी.पी.ओ.श्रीमती रीता यादव।
अभियुक्त	मनीष पिता रेखलाल राउत, उम्र 25 वर्ष निवासी– वार्ड नं. 24 इंदिरानगर बालाघाट, बालाघाट म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जितेंद्र चिचखेडे अधिवक्ता

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	17.06.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	18.06.2017
अभियोग पत्र प्रस्तुति की तारीख	05–07–2017
आरोपों के विरचना की तारीख	05.10.2017
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	27.12.2017
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	27.03.2023
निर्णय की तारीख	27.03.2023
दंडादेश यदि कोई हो की तारीख	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा–428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान

			की तारीख				भोगी गयी निरोध की अवधि
1	मनीष राउत	18.06.2017	20.06.2017	25 आर्म्स एक्ट अधि.	दोषमुक्त	निर्णय की कंडिका क्र– 12 के. अनुसार	दिनांक 18.06.2017 से दिनांक 20.06.2017

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क–अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चतुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ0सा01	विनय शुक्ला	पंच साक्षी
अ0सा02	अनुराग	पंच साक्षी
अ0सा03	संजीव दीक्षित	विशेषज्ञ साक्षी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चतुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

स–न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चतुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क्र–अभियोजन

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्शपी–1/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा

2	प्रदर्शपी–2/अ.सा.1	गिरफतारी पंचनामा
3	प्रदर्शपी–3/अ.सा.3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4	प्रदर्शपी–4/अ.सा.3	रवानगी रोजनामचा सान्हा
5	प्रदर्शपी–5/अ.सा.3	हथियार तलवार का छायाचित्र

ख–प्रतिरक्षा

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

ग–न्यायालायीन प्रदर्श

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

घ–आवश्यक वस्तुएं

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	1	एक तलवार

———————————————————————————————

थाना कोतवाली जिला बालाघाट के अपराध क. 259/17 अपराध अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————————

01– अभियुक्त **मनीष राउत** पर **आयुद्य अधि0 1959 की धारा 25 (1–बी बी) के अधीन** आरोप है कि उसने दिनांक 17.06.2017 को समय 23:35 बजे आरक्षी केंद्र कोतवाली की सीमांतर्गत वार्ड नं. 24 इंदिरा नगर बालाघाट के अंतर्गत शासकीय अधिसूचना क्र. क्र. 6312–6552 11(ब) (1)दिनांकित 22.11.1974 का उल्लघंन में बिना किसी अनुज्ञापत्र के प्रतिबंधित आकार की लोहे की तलवार जिसकी लंबाई 65 से.मी. एवं फल की चौड़ाई 4 से.मी. को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा गया।

02– अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि थाना कोतवाली बालाघाट में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक संजीव दीक्षित को दिनांक 17.06.2017 को टाउन भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी हेतु रवाना हुआ था तभी जरिये वायरलेस सेट से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नं. 24 इंदिरा नगर में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिये घुम रहा है और आने–जाने वाले लोगो डरा धमका रहा है कि सूचना पर बटी में लगे आर.क 1352, 263, 459 व 936 को तलब कर घटना के संबंध में बताया एवं हमराह लेकर वार्ड नं. 24 लेकर गया जहां एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिये लोगो को चमका धमका रहा है जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकडा व नाम पता पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मनीष पिता रेखलाल राउत, उम्र 25 वर्ष निवासी– वार्ड नं. 24 इंदिरानगर बालाघाट,जिला बालाघाट का होना बताया,

मनीष से तलवार के लायसेंस के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पाये जाने से समक्ष गवाह आरोपी से तलवार जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया। आरोपी व जप्तशुदा हथियार के थाना वापस आया और आरोपी मनीष राउत के विरूद्ध थाना के अपराध क्र. 259/2017 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया।अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03— अपने अभिवाक् में अभियुक्त ने आरोपित अपराध का प्रत्याख्यान किया एवं विचारण की मांग की। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किये गये अपने परीक्षण में उसने अभियोजन साक्ष्य की सत्यता से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताते हुए बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया।

04— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि</u>—

क्या अभियुक्त ने दि. 17.06.17 को समय 23:35 बजे आरक्षी केंद्र कोतवाली की सीमांतर्गत वार्ड नं. 24 इंदिरा नगर बालाघाट के अंतर्गत शासकीय अधिसूचना क्र. क्र. 6312—6552 11(ब) (1)दिनांकित 22.11.1974 का उल्लघंन में बिना किसी अनुज्ञापत्र के प्रतिबंधित आकार की लोहे की तलवार जिसकी लंबाई 65 से. मी. एवं फल की चौड़ाई 4 से.मी. को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा गया ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

05— न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रकरण को प्रमाणित कराये जाने हेतु परीक्षित **अभियोजन साक्ष्य क्र. 01 विनय शुक्ला** ने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया कि साक्षी वर्ष 2017 में थाना कोतवाली में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और दिनांक 17.06.2017 को अनुराग गिरी के साथ बीट भ्रमण में था तब <u>वायरलेस सेट से सूचना मिली थी कि वार्ड नं. 24 में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिये घ ुम रहा है और आने—जाने वाले लोगो को परेशान कर रहा है तब साक्षी ने उक्त संबंध में दीक्षित साहब को घटना के बारे में सूचित किया था</u>। दीक्षित साहब थाना से रवाना हुए और साक्षी व अनुराग भी घटनास्थल पर रवाना हुए घटनास्थल पर एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिये घुम रहा था, जिसने अपना नाम मनीष रावत बताया था और समझाने पर वह आक्रोशित हो गया था फिर वे लोग उसे वहां से थाना लेकर आये थे और घटनास्थल पर ही तलवार को जप्त कर जप्ती पत्रक सहायक उपनिरीक्षक संजीव दीक्षित द्वारा साक्षी के समक्ष बनाया गया उसके बाद वे लोग आरोपी को वहां से लेकर थाना आ गये साक्षी ने घटना के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक दीक्षित से पूछताछ कर बयान लिया जाना भी बताया और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—01 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित कराये है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक संजीव दीक्षित घटनास्थल से मनीष को गिरफतार थाना लेकर आया और घटनास्थल पर ही साक्षी के समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

06— **अभियोजन साक्ष्य क. 01 विनय शुक्ला ने** प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया कि अनुराग गिरी थाना कोतवाली में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे दीक्षित साहब के अधीनस्थ काम करते थे एवं वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपडी का एरिया 2—3 किलोमीटर के एरिया में फेला हुआ है और साक्षी को शाम के 09—10 बजे जहां कॉल आया था वहां से घटनास्थल पर जाने में लगभग 10—15 मिनट का समय लगा होगा जहां कि साक्षी बात बता रहा है वह आसपास घर लगे हुए है और **सभी घरो में दो—चार—दो—चार लोग रहते है और 10—12 बजे तक लोगो का अपने घर में आना जाना लगा रहता है** और साक्षी के साहब ने घटनास्थल पर ही हथियार के नापजोंक का पंचनामा बनाया था और साक्षी ने उस पर हस्ताक्षर किये थे तत्पश्चात साक्षी ने कहा कि साहब ने नापजोंक का पंचनामा बनाया था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर ही साहब ने घटनास्थल पर उक्त हथियार को टेप से नापे थे। **घटनास्थल पर ही जप्तशुदा वस्तु पर सील चपडा लगाये थे। जप्ती पत्रक** पर भी साक्षी के समक्ष सील लगाये थे और सील लगाने के बाद **साक्षी ने हस्ताक्षर किया था** एवं ऐसा नहीं होना बताया कि साहब ने पहले ही जप्ती पत्रक तैयार कर लिया था उसके बाद साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे एवं इन सुझावो को अस्वीकार किया कि उनके साहब ने थाना में लिखा पढी की थी, साक्षी ने थाने में हस्ताक्षर किये थे, साक्षी ने दीक्षित साहब को बयान देते समय यह बता दिया जाना बताया कि आरोपी का नाम मनीष रावत है, यदि उसके बयान में आरोपी का नाम मनीष रावत न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने इन सुझावो को भी अस्वीकार किया कि आरोपी से कोई हथियार जप्त नहीं हुआ था और साक्षी आज आरोपी को फंसाने के लिये आज सही बात नहीं बता रहा है।

07— अभियोजन **साक्ष्य क. 02 अनुराग गिरी** ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिनांक 17.06.2017 को थाना कोतवाली में आरक्षक के पद पर पदस्थ होना तथा विनय शुक्ला व स्वयं का टाउन भ्रमण हेतु रवाना होना बताया। साक्षी ने वहीं पर वायरलेस सेट से सूचना मिलना बताया कि वार्ड नं. 24 इंदिरा नगर में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है तथा आने—जाने वालो को धमका—चमका रहा है और उक्त सूचना उन्हें दीक्षित साहब द्वारा दी जाना और साक्षी को तथा विनय शुक्ला को मोती तालाब के पास आकर मिलने हेतु कहा जाना बताया है और जब वे लोग मोती तालाब के पास पहुंचे तो दीक्षित साहब भी आ गये तब वहां पर एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है और दीक्षित साहब द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति आक्रोशित हो गया। साक्षी ने धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को घटनास्थल पर ही स्वयं के एवं विनय के समक्ष दीक्षित साहब द्वारा गिरफ्तार कर तलवार की **जप्ती घटनास्थल पर ही किया जाना बताया और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—01 एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—02 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराये हैं।** प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटना की सूचना दीक्षित साहब को मिली थी और उन्होंने, उन लोगो को सूचना दी थी और सूचना मिलने पर वे लोग मोती तालाब चौक गये जहां पर उन्हें दीक्षित साहब मिले और इन सुझावो को भी स्वीकार किया कि झुग्गी झोपडी वाला एरिया 2—3 किलोमीटर के दायरे में फैला है एवं स्वतः कथन किया कि एक से डेढ किलोमीटर के दायरे में फेला है। यह भी स्वीकार किया कि विनय शुक्ला थाना कोतवाली में आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा वे लोग जब वहां पहुंचे थे वहां बहुत से

लोग उपस्थित थे व घटनास्थल पर 11–12 बजे तक लोग आते–जाते रहते है और दीक्षित साहब ने साक्षी के सामने झुग्गी झोपडी में पूछताछ कर बयान लिये थे व लोगो के बयान प्रकरण में पेश किये गये है साक्षी ने **इस बात की जानकारी भी न होना बताया कि उसके सामने जप्तशुदा वस्तु को सीलबंद कर चपडा लगाने की कार्यवाही हुई थी या नहीं।** साक्षी ने जप्तशुदा वस्तु में चपडा सील लगाने के बाद जप्ती पत्रक पर दीक्षित साहब द्वारा सील मुद्रा अंकित किया जाना एवं साक्षी के समक्ष विवेचना अधिकारी द्वारा जप्तशुदा वस्तु की नापजोंक कर उसका पंचनामा बनाया जाना बताया परंतु नापजोंक पंचनामा पर साक्षी ने हस्ताक्षर नहीं किया जाना स्वीकार किया है, स्वतः कथन किया कि नापजोंक पंचनामा बनाया था साहब ने प्रकरण में पेश किया होगा। साक्षी ने इन सुझावो को भी **स्वीकार** किया कि दीक्षित साहब ने उससे कोई पूछताछ नहीं कि थी क्योंकि वे साथ में थे, साक्षी ने दीक्षित साहब को कुछ नहीं बताया था स्वतः कथन किया कि पूरी घटना उसके सामने हुई थी एवं उन सुझावो को **अस्वीकार** किया कि साहब ने थाने में लिखा पढ़ी की थी और साक्षी ने थाने में हस्ताक्षर किये थे तथा आरोपी से कोई वस्तु जप्त नहीं की हुई थी साक्षी घटनास्थल पर विवेचक के साथ नहीं गया था और साक्षी ने बाद में साहब के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था और साक्षी आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08– अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 17.06.2017 को थाना कोतवाली बालाघाट में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये टाउन भ्रमण हेतु रवाना हुआ था और साक्षी को मुखबिर के जरिये वायरलेस से सूचना मिली थी कि वार्ड नं.24 इंद्रानगर में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है और आने–जाने वाले व्यक्तियों को धमका रहा है, उक्त सूचना पर बीट में लगे आरक्षक क्रं.1352, 263, 459, 936 का तलब कर घटना के संबंध में बताया एवं हमराह लेकर वार्ड नं. 24 गया एवं तस्दीक पर एक आदमी का हाथ में तलवार लेकर लोगों को चमकाना धमकाना पाये जाने पर हमराह स्टॉफ के द्वारा पकड़ा गया एवं नाम पता पूछने पर अपना नाम मनीष पिता रेखलाल राउत, उम्र 25 वर्ष निवासी– वार्ड नं. 24 इंदिरानगर बालाघाट,जिला बालाघाट का बताया एवं तलवार रखने के संबंध में कागजात पूछे जाने पर कोई कागजात नहीं होना बताया, जिसे मौके पर साक्षी द्वारा स्टॉफ के समक्ष आरक्षक विनय व अनुरागगिरी के समक्ष आरोपी से तलवार जप्त कर **जप्ती पत्रक प्रदर्शपी–01 तैयार किया जाना बताया साक्षी ने जप्त तलवार की लम्बाई 65 से. मी. फल की चौडाई 04 से0मी0 होना बताया और उसी दिनांक को ही साक्षी आरक्षक विनय व अनुराग गिरी के समक्ष ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शपी–02 तैयार किया जाना बताया** एवं तलवार सहित आरोपी को गिरफ्तार कर साक्षी द्वारा आरोपी को थाना लाया जाकर अपराध क्रं.259/2017 अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी–3 साक्षी द्वारा लेखबद्ध की गई। साक्षी ने उक्त दिनांक को साक्षी अनुराग गिरी व विनय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया। साक्षी ने प्रकरण में मौके पर आने जाने का रोजनामचा सान्हा संलग्न किया है, जो प्रदर्शपी–04 है। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र अंतिम प्रतिवेदन पत्र क्र. 215/17 पेश किया गया।

09– अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित प्रतिपरीक्षण मे इन सुझावो को स्वीकार किया कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट, जप्ती, गिरफतारी एवं साक्षी के

कथन एवं अभियोग पत्र पेश होने तक की समस्त कार्यवाही साक्षी द्वारा की गई है। साक्षी द्वारा मुखबिर सूचना का पंचनामा नहीं बनाया गया साक्षी द्वारा हमराह **स्टाफ को मुखबिर सूचना से अवगत कराने का पंचनामा नहीं बनाया गया**, प्रथम सूचना रिपोर्ट में सिर्फ आरोपी का नाम लिखा है उसके पिता का उल्लेख नहीं है, साक्षी द्वारा आरोपी के पहचान के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, **साक्षी ने मौके पर आने–जाने वालो व आसपास के लोगों को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया है**, जप्तशुदा हथियार को **किस यंत्र से मापा गया था इसका उल्लेख अंतिम प्रतिवेदन में नहीं** है, आरक्षक अनुराग व विनय शुक्ला साक्षी के अधीनस्थ कार्य करते थे साक्षी के द्वारा **मौके का नक्शामौका नहीं बनाया गया** है, जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा तलवार नया था या पुराना या धारादार या बोथरी, **जप्तशुदा तलवार को सीलबंद किया गया एवं चपडा व नमूना अंकित किया गया** एवं गवाह के हस्ताक्षर करने का, **जप्ती पत्रक में सील मुद्रा अंकित नही है।** गिरफतारी पत्रक एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध क्र. 259/17 उल्लेख है, स्वतः कहा कि शून्य का भी उल्लेख है। साक्षी ने इस सुझावो को भी स्वीकार किया कि **जप्तशुदा तलवार को मालखाना में जमा करने का मुददेमाल पर्चा में प्रकरण में संलग्न नहीं किया** गया, जप्तशुदा वस्तु को मालखाना में रखने एवं मालखाने से बाहर निकालने संबंधी इंद्राज किया जाता है व **घटना दिनांक 17.06.2017 से दिनांक 30.06.2017 तक जप्तशुदा तलवार कहां था इसका कहीं पर इंद्राज नहीं था** स्वतः कहा कि मालखाना प्रभारी के सुपुर्द किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार करते हुए कि प्रदर्श पी–05 में अपराध क्रमांक व दिनांक का उल्लेख नहीं है एवं इन सुझावो को **अस्वीकार** किया कि विनय व अनुराग के कथन लेखबद्ध नहीं किये थे और उन्होंने भी साक्षी के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये थे, आरोपी से कोई तलवार जप्त नहीं किया गया था, समस्त विवेचना थाना में बैठकर किया गया था आरोपी के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया है एवं साक्षी आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

10– अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित साक्ष्य के बारे में **न्यायदृष्टांत स्टेट विरूद्ध जयपॉल 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 1762** अवलोकनीय है। जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह पुलिस अधिकारी करने में समक्ष है जो किसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखता है ओर अपराध पंजीबद्ध करता है, वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त के हितो पर इससे प्रतिकुल प्रभाव पड़ा यह स्वतः ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

11– उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से जहां अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित द्वारा सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् बीट में लगे आरक्षक क्रं. 1352, 459, 936 को तलब कर हमराह लेकर हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचने का कथन किया है, वही अभियोजन साक्ष्य क्रं.02 अनुराग गिरी एवं अभियोजन साक्ष्य क्रं.01 विनय शुक्ला ने घटना के संबंध में अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित को सूचित किया जाना बताया है। प्रकरण में संलग्न प्रदर्शपी–04 के अवलोकन से अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित द्वारा समक्ष स्टॉफ आरक्षक क्रं.35 अनुराग एवं 767 विनय के के समक्ष मनीष राउत के कब्जे से एक लोहे की तलवार जप्त कर गिरफ्तार किया जाना लेख है और जबकि अभियोजन कथानक अनुसार घटना, दिनांक 17.06.2017 की समय 23:35 बजे की है और

इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य क्रं.02 अनुराग गिरी ने भी इस सुझाव को **स्वीकार** किया है कि घटना स्थल पर 11–12 बजे तक लोग आते–जाते रहते है, तब इस संबंध में संदेह उत्पन्न होता है कि क्यों अभियोजन साक्ष्य क्रं.03 संजीव दीक्षित द्वारा किसी स्वतंत्र व्यक्ति के समक्ष जप्ती एवं विवेचना की कार्यवाही नहीं की गई और इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य क्रं.01 विनय शुक्ला ने भी प्रतिपरीक्षण में **स्वीकार** किया है कि घटना स्थल में लोग जमा थे। उपरोक्त परिस्थिति के संबंध में **न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ एम.पी. बोर्ड विरूद्ध पलटन मल्लाह 2005 वाल्यूम–3 एस.सी.सी. 169** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ने उसी क्षेत्र के गवाह तलाशी में न लिये हो तब न्यायालय का यह विवेकाधिकार है कि वह तय करे कि साक्ष्य स्वीकार योग्य है या नहीं। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में घ ाटना स्थल पर की गई जप्ती कार्यवाही के संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्ष्य स्वीकार योग्य होना दर्शित नहीं होती। यद्यपि जप्ती पंचनामा के साक्षी अभियोजन साक्ष्य क्रं.02 अनुराग गिरी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात की भी जानकारी न होना बताया है कि जप्तशुदा वस्तु को सील बंद कर चपड़ा लगाने की कार्यवाही हुई थी या नहीं एवं चपड़ा लगाने के उपरांत जप्ती पत्रक पर दीक्षित साहब ने सील मुद्रा अंकित की थी। इसी तरह अभियोजन साक्ष्य क्रं.01 विनय शुक्ला ने प्रतिपरीक्षण में घटना स्थल पर हथियार नाप जोक का पंचनामा बनाया जाना और बाद में हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया और उसके पश्चात् नाप जोक के पंचनामा बनाये जाने की जानकारी न होना बताया। इस तरह उक्त दोनों जप्ती साक्षीगण की साक्ष्य से दोनों साक्षियों का जप्ती कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट जानकारी न होना दर्शित होता है, जिससे जप्ती कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त घटना के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियोजन चलाने की जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति को भी प्रस्तुत नहीं किया है और न्यायदृष्टांत **पप्पे उर्फ सुखबिंदर वि0 मध्यप्रदेश राज्य 2007 (3) एम.पी.बी.एन. 56** में अवधारित किया गया है कि स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभिग्रहण ग्राह्य पर तथा वस्तु का सीलबंद किया जाना साबित नहीं अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त का पात्र है।

अंतिम आदेश

12– उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचना एवं विचारणीय बिन्दुओं पर प्राप्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अभियोजन के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 17.06.2017 को समय 23:35 बजे आरक्षी केंद्र कोतवाली की सीमांतर्गत वार्ड नं. 24 इंदिरा नगर बालाघाट के अंतर्गत शासकीय अधिसूचना क्र. क्र. 6312–6552 11(ब) (1)दिनांकित 22.11.1974 का उल्लघंन में बिना किसी अनुज्ञापत्र के प्रतिबंधित आकार की लोहे की तलवार जिसकी लंबाई 65 से.मी. एवं फल की चौड़ाई 4 से.मी. को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा गया। परिणामस्वरूप आरोपी **मनीष पिता रेखलाल राउत, उम्र 25 वर्ष, निवासी– वार्ड नं. 24 इंदिरानगर बालाघाट, जिला बालाघाट म.प्र.** को **आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 (1–बी)बी** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से ***''दोषमुक्त''*** किया जाकर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

13– अभियुक्त के जमानत मुचलके धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 6 माह पश्चात उन्मोचित समझे जावे।

14— अभियुक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा तलवार मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़—तोड़ कर नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

BHUPENDRA SINGH
Digitally signed by BHUPENDRA SINGH
Date: 2023.03.27 17:47:11 +0530

{भूपेंद्र सिंह}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बालाघाट (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

BHUPENDRA SINGH
Digitally signed by BHUPENDRA SINGH
Date: 2023.03.27 17:47:16 +0530

{भूपेंद्र सिंह}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बालाघाट (म.प्र.)